



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2015/माघ 7, 1936

No. 168]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2015/MAGHA 7, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2015

का.आ. 235(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि ट्रेलरों को, तारीख 31 जनवरी, 2015 तक या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 97 के उपनियम (3) के कार्यक्षेत्र से छूट देती है।

[फा. सं. आरटी-11036/31/2010-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND
HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2015

S.O. 235(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) section 110 of the Motor Vehicle Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby exempts agricultural trailers from the purview of sub-rule (3) of rule 97 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 till 1st January, 2016 or until farther orders, whichever is earlier.

[F. No. TR-11036/31/2010-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.